न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 29 / 12 / अपील

1. ओम प्रकाश पुत्र 32 साल
2. श्रवण कुमार उम्र 22 साल
3. पप्पूलाल उम्र 20 साल

} पुत्रगण जगदीश प्रसाद

समस्त जाति कुम्हार निवासीगण मदनी(मण्ढा) दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट्स

ब ना म

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, मदनी(मण्ढा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. प्रभाती देवी पत्नी स्व. गौरूराम उम्र 70 साल
3. छीतरमल उम्र 50 साल
4. परमेश्वर उम्र 45 साल
5. श्रीराम उम्र 40 साल

} पुत्रगण स्व. गौरूराम

जाति कुम्हार निवासीगण मदनी (मण्ढा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

6. राधा उम्र 43 साल पुत्री स्व. गौरूराम पत्नी छीतरमल जाति कुम्हार निवासी मदनी (मंढा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल नि0 बाजौर तहसील व जिला सीकर
7. बिमला उम्र 35 साल पुत्री स्व. गौरूराम पत्नी सीताराम निवासी मदनी (मंढा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल नि0 बाजौर तहसील व जिला सीकर
8. धापूदेवी पत्नी छोटूराम उम्र 56 साल जाति कुम्हार नि0 मदनी (मण्ढा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. पटवारी, पटवार हल्का मंढा–मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

– रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 69 दिनांक 30.03.99

द्वारा ग्राम पंचायत, मंढा–मदनी

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील अपीलांट्स की ओर से
2. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील रेस्पो. सं. 6, 7 की ओर से

निर्णय दिनांक–22.09.2015

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां खसरा नं. 178 रकबा 2.23 है0, 179 / 1265 किता 2 कुल रकबा 2.35 है0 तन गाम मदनी तहसील दांतारामगढ जिला

ड अधिकारी, दांतारामगढ

सीकर में अवस्थित है। उक्त आराजी में अपीलांट्स का हिस्सा विक्रय पत्र के अनुसार 1.29 है. रेस्पो. सं. 2 व 3 का हिस्सा कमशः 0.53 है0 व 0.53 है0 है। उक्त आराजियात को अपीलांट्स ने रेस्पो. सं. 2 व 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.9.98 को क्रय की थी। उसी अनुसार अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 2 व 3 कब्जा काश्त करते चले आ रहे है परन्तु पटवारी हल्का मंढा ने ना.करण सं. 69 भरते समय अपीलांट का हिस्सा विक्रय पत्र में दज हिस्से के अनुसार न भरकर केवल सभी क्रयकर्ताओं का बराबर बराबर हिस्सा भर कर रेस्पो. सं. 1 के यहां प्रस्तुत कर स्वीकृत करवा लिया जो कि विधि विरूद्ध है। इसलिए ना.करण सं. 69 निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा विक्रय पत्र को बिना पढे व समझे ही ना.करण भरकर योग्य पंचायत में पेश कर दिया था जिसको ग्राम पंचायत ने बिना समझे ही तस्दीक कर दिया। योग्य ग्राम पंचायत द्वारा ना.करण सं. 69 स्वीकार करने से पूर्व मौके व कब्जे की जांच नहीं की व न ही अपीलांट्स को ना.करण स्वीकार करने से पूर्व सूचना दी। ना.करण सं. 69 गलत ढंग से भरा गया था जिसकी जानकारी भी अपीलांट्स को पूर्व में नहीं थी। दिनांक 30.6.2012 को रेस्पो. सं. 2 व 3 ने मौके पर आकर अपीलांट्स से कहा कि आपने हमारी खातेदारीशुदा भूमि दबा रखी है, इस पर अपीलांट्स ने कहा कि हमारे पास तो केवल हमने जो भूमि रकबा 1.29 है. क्रय की है वहीं भूमि है तो रेस्पे. सं. 2 व 3 ने कहा कि आपने तो इससे कम भूमि खरीदी थी यह जमाबंदी देख लो, तब अपीलांट्स द्वारा उक्त जमाबंदी देखने पर पता चला कि हमने जितनी भूमि क्रय की थी उससे कम है। इस पर अपीलांटस ने पटवारी से संपर्क किया। पटवारी ने कहा कि आपके सभी के जमीन बराबर बराबर है, ना.करण गलत भरा गया है इसलिए सभी के बराबर बराबर जमीन हो गयी तो पटवारी ने कहा कि आप दिनांक 06.07.12 को मेरे पास आना, मैं आपको ना.करण की नकल दे दूंगा। इस पर अपीलांट ने दिनांक 06.07.2012 को पुनः पटवारी के पास जाकर नकल प्राप्त की तब अपीलांट्स को रेस्पों. के कृत्य का पता चला। नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश की जा रही है। जानकारी के अभाव में देरी हुआ समय माफ किये जाने हेतु धारा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पृथक से पेश किया जा रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट्सस की अपील स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 69 दिनांक 30.03.99 ग्राम मदनी, ग्राम पंचायत, मदनी (मंढा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 मा 5, 8 ता 10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 6 व 7 की ओर से वकील श्री भंवरसिंह शेखावत हाजिर हुए एवं अपील आपतियां पेश नहीं कर सीधे बहस की गई।
3. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराया एवं वकील रेस्पो. ने अपील आपतियां पेश नहीं कर

उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बहस के दौरान अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने में कोई एतराज व्यक्त नहीं किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 69 दिनांक 30.03.99 द्वारा ग्राम पंचायत, मण्ढा(मदनी) जिला सीकर एवं विकय पत्र बहक गौरूराम आदि के पक्ष में संपादित किये गये तथा जमाबंदी का अवलोकन किया गया। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है जिसका वकील रेस्पो. द्वारा कोई एतराज व्यक्त नहीं किये जाने पर अपील विलम्ब के समय को कन्डोन किया जाता है। विकय पत्र सं. 320 दिनांक 30.9.98 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम मदनी प.मं. मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ में अवस्थित आराजियात ख.नं0 178 रकबा 2.23 है0 एवं 179/1265 रकबा 0.12 है. किता 2 कुल रकबा 2.35 है. भूमि विकेता छीतर सिंह आदि से कयकर्ता गोरूराम पुत्र लुणाराम कुम्हार रकबा 0.53 है0, धापू पत्नी छोटूराम कुम्हार रकबा 0.53 है. एवं ओमप्रकाश, श्रवणकुमार, पप्पूलाल पुत्रगण जगदीश प्रसाद कुम्हार रकबा 1.29 है. व ब.हि.ब. द्वारा कय की गई। विकय पत्र के आधार पर जब पटवारी हल्का मण्ढा–मदनी द्वारा दिनांक 10.1.99 को ना.करण सं. 69 भरा गया तो कॉलम सं 9 में कयकर्ता का हिस्सा न दर्शाकर नाम अंकित कर दिया एवं भूअनि द्वारा अंकन सही बताया जिसके आधार पर सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्ढा–मदनी द्वारा उक्त ना.करण दिनांक 30.03.99 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार उक्त ना.करण विकय पत्र में अंकित हिस्से अनुसार नहीं भरा होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर विवादित ना.करण सं. 69 दिनांक 30.03.99 बतस्दीक ग्राम पंचायत, मण्ढा(मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को रिमाण्ड किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि विकय पत्र सं. 320 दिनांक 30.9.98 के आधार पर ना. करण पुनः भरवाकर तस्दीक करें। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 22.09.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ